Registered Email

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज (मूल पद– अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–3382 दिनांक–05.10.2016 के द्वारा कर्तव्यहीनता एवं मूलभूत कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–2864 दिनांक–03.11.16 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–779 दिनांक–15.07.2017 से प्राप्त स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिन्हा के विरूद्ध जाँच हेतु आरोप संलग्न आरोप–पत्र में अंकित हैं तथा जिस अभिलेख के आधार पर आरोप निर्धारित किए गए हैं, उसकी विवरणी भी अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट है।

2. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

3. श्री सिन्हा से एतद् द्वारा अपेक्षित है कि वे अपना लिखित बचाव प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित कर दें तथा जाँच में यह भी बतायें कि क्या वे स्वयं अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं या किसी अन्य सरकारी सेवक के माध्यम से।

4. श्री सिन्हा को सूचित किया जाता है कि विभागीय जाँच उन्हीं आरोपों या अभिकथनों के संबंध में की जाएगी जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्हें अभियोगों के विवरण में दिए गए हर अभिकथन और आरोपों को विशिष्ट रूप से या तो स्वीकार करना है या अस्वीकार। जिन–जिन अभिकथनों को वे विशिष्ट रूप से अस्वीकार नहीं करेगें, वे स्वीकृत समझे जायेंगे।

5. श्री सिन्हा को यह सूचित जाता है कि यदि उनका बचाव प्रतिवेदन उपर कंडिका–3 में उल्लिखित समय–सीमा या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा तो जाँच एकपक्षीय निष्पादित कर ली जाएगी।

6. श्री सिन्हा का ध्यान बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अधीन यदि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपने नियुक्ति एवं संबंधित विषयों में अपने स्वार्थो को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अपने किसी उच्चस्थ पदाधिकारी पर न तो दबाव डालेंगे और न डालने की कोशिश करेंगे। यदि कार्यवाही में विचारणीय किसी बात के संबंध में उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पैरवी की जाती है और वह पैरवी उनकी प्रेरणा से की गई तो नियमावली के नियमों के अतिक्रमण के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

17.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप) राज0–10–34/2016– 2063 **पटना, दिनांक**– 18.8.17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– संचालन पदाधिकारी–सह– उप निदेशक कल्याण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

2– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही के परिशीलन हेतु अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाय।

3–उप निदेशक कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा।

4–संयुक्त सचिव (स्थापना) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

5– श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, (मूल पद–अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी) प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप) राज0–10–34/2016– 2063 **पटना, दिनांक**– 18.8.17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(नियम–17 (3) तथा विनियम 3 द्रष्ट्व्य)

प्रपत्र–'क'

1. सरकारी सेवक का नाम – श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
2. पदनाम – जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज
3. पदस्थापन स्थान – जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज
4. समूह – ख
5. वेतन बैंड/ग्रेड पे – 9300-34800 ग्रेड पे- 5400
6. जन्म तिथि – 08.12.1958
8. सेवानिवृति की तिथि – 31.12.2018
9. स्थायी पत्ता – औरंगाबाद

क्रम	आरोप	आरोप का सारांश	साक्ष्य तालिका
1	2	3	4
	कर्तव्यहीनता/ लापरवाही एवं अनुशासन–हीनता	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक –3382 दि0–05.10.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा दिनांक–04.10.16 को गोपालगंज जिला के भ्रमण के क्रम में राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय बालक, हथुआ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय भवन का अधुरा रहने तथा अध्ययनरत लगभग चार सौ छात्रों पर मात्र दो शिक्षक के कार्यरत रहने पर पृच्छा की गई तो आपके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष संचिका उपस्थापित की गई थी, परंतु जिला पदाधिकारी द्वारा संचिका पर कोई आदेश नहीं दिया गया। तदोपरांत इस संबंध में माननीय मंत्री द्वारा जिला पदाधिकारी से वार्ता की गई। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा माननीय मंत्री को जानकारी दी गई कि इस संबंध में कोई भी संचिका जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपस्थापित नही की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा माननीय मंत्री को तथ्यों की वास्तविक जानकारी न देकर तथ्यहीन एवं भ्रामक सूचना दी गई एवं दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। यह आपकी कर्तव्यहीनता, मूलभूत कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। आपका यह कृत्य सरकारी पदाधिकारी के आचरण के घोर प्रतिकूल एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है।	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक 3382 दि0–05.10.16

9.8.17

सचिव।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति

कल्याण विभाग, बिहार, पटना।